

कार्य मंत्रणा समिति
(सत्रहवीं लोक सभा)

छत्तीसवां प्रतिवेदन
(12.12.2022 को प्रस्तुत)

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, 6 दिसम्बर, 2022 को हुई।

2. समिति ने कार्य की निम्नलिखित मदों के लिए प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार समय के आवंटन की सिफारिश की है:-

(1) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 (छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में), इसे पुरःस्थापित किए जाने के पश्चात्। 2 घंटे

(विचार तथा पारित करना)

(2) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 (कर्नाटक राज्य के संबंध में), इसे पुरःस्थापित किए जाने के पश्चात्। 2 घंटे

(विचार तथा पारित करना)

(3) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (तमिलनाडु राज्य के संबंध में), इसे पुरःस्थापित किए जाने के पश्चात्। 2 घंटे

(विचार तथा पारित करना)

(4) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में), इसे पुरःस्थापित किए जाने के पश्चात्। 2 घंटे

(विचार तथा पारित करना)

(5) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 4 घंटे

(विचार तथा पारित करना)

नई दिल्ली;
7 दिसम्बर, 2022
16 अग्रहायण, 1944 (शक)

ओम बिरला
सभापति,
कार्य मंत्रणा समिति।